कार्यालय–निदेशक मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्रांक– /सा0शा0/ज–1(16)।।। दिनांक, 13 नवम्बर, 2020

परिपत्र

विभागीय जलाशयों/तालाबों की प्रबन्ध व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख शासनादेश सं0–24/2018/1263/सत्रह–म–2018–5(69)/81 दि0 27.08.2018 में किया गया है। वर्तमान में जारी उक्त शासनादेश के जो शासनादेश सं0 –1573/57–म–2000–5(69)/81 दिनांक 20.04.2001 प्रस्तर–1–3 में श्रेणी–एक एवं श्रेणी–दो के जलाशयों में ठेकेदार/समिति द्वारा 75 प्रतिशत धनराशि को सुनिश्चित रुप से जमा कराने हेतु समतुल्य धनराशि का बैंक गारण्टी पत्र अथवा एफ0डी0आर0 के रुप में एवं श्रेणी–दों के जलाशयों में तीन माह की मासिक किश्तों के योग के समतुल्य धनराशि का का संशोधन द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरुप बैंक गारण्टी पत्र अथवा एफ0डी0आर0 के रुप में सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0/मत्स्य विकास निगम/प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के पास बन्धक के रुप में 30 दिन के अन्दर जमा कराया जायेगा जो ठेका समाप्ति की तिथि तक बंधक रहेगी।

उक्त शासनादेश दिनांक 27.08.2018 के अनुरुप एवं निदेशालय के संशोधन परिपत्र सं0–1672/सा0शा0/ज–1(16) ।।। दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 द्वारा अनुपालन सुनिश्चित हेतु निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं। परन्तु कतिपय जनपदों के अधिकारियों द्वारा उक्त का संज्ञान न लेकर सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ठेकेदार के मध्य त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर अनुबन्ध का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया।

"उदाहरणार्थ जनपद सोनभद्र में स्थित धंधरौल जलाशय श्रेणी–एक के ठेकेदार के मध्य सहायक निदेशक मत्स्य सोनभद्र द्वारा अनुबन्ध पत्र **प्रस्तर सं0– 3** में श्रेणी–2 के जलाशय हेतु तीन माह के ठेका किस्त के समतुल्य धनराशि का बैंक गारण्टी अथवा एफ0डी0आर0 सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य के पास बंधक के रुप में रखने का उल्लेख/जिक्र अनुबन्ध पत्र में करना चाहिए था जब कि आप द्वारा उक्त प्रस्तर में ठेकेदार से 75 प्रतिशत धनराशि को सुनिश्चित रुप से जमा कराने हेतु समतुल्य धनराशि का बैंक गारण्टी पत्र अथवा एफ0डी0आर0 के रुप में रखने का उल्लेख श्रेणी–एक के जलाशय के निहित नियमों का उक्त प्रस्तर में कर लिया गया और अनुबन्ध पर अपना हस्ताक्षर करके अनुबन्ध पत्र रजिस्टर्ड करा लिया"।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए श्रेणी–एक एवं दो के जलाशयों का प्राप्त बैंक गारण्टी अथवा एफ0डी0आर0 बन्धक के रुप में जमानत की राशि ठेकेदार से जमा करायी आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त जमा करायी गयी जमानत की सम्पूर्ण धनराशि को प्रोक्योरमेंट मैनुवल के अनुसार जमा जमानत के प्रत्येक अभिलेखों का सम्बन्धित बैंक/संस्था से सत्यापन करा लिया जाय और यदि आपके स्तर से सत्यापन नहीं कराया जाता है तो भविष्य हेतु फर्जी/कूटरचित जमानत राशि सिद्ध सकती है। सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होंगे। अनुबन्ध पत्र/बैंक गारण्टी अथवा एफ0डी0आर0 बन्धक के रुप में जमानत की राशि सत्यापन उपरान्त ही अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

अतः उक्त परिपत्र में निहित शासनादेशों का अनुपालन एवं पूर्व में जारी परिपत्रों के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना एवं कराना विभागीय अधिकारियों का दायित्व है। विचलन की दशा में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी। अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह0/
(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक–519 /सा0शा0/ज–1(16)।।। उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित–:

1–समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
3–संयुक्त निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य(नियो0)/उप निदेशक मत्स्य, मुख्यालय।
4–गार्ड फाइल।
5–बेव आफीसर,मत्स्य निदेशालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,